-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.03.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **बांदा पुलिस की अपमिश्रित शराब बनाने के विरुद्ध की गई बड़ी कार्यवाही। अवैध रुप से अपमिश्रित शराब बनाने वाले अभियुक्त को थाना अतर्रा पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से लगभग 3.5 लाख रुपये के अपमिश्रित शराब बनाने के 180 लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट, 01 हजार प्लास्टिक की शीशी, भरे हुए क्वार्टर आदि बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा लोकसभा चुनाव व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब का निष्कर्षण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र व क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री गवेन्द्र पाल गौतम के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 21.03.2024 की शाम को थाना अतर्रा पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा अपमिश्रित शराब बनाने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 21.03.2024 की शाम को थाना अतर्रा पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि थाना अतर्रा क्षेत्र के ग्राम गोखिया के रामचन्द्र तिवारी के पुरवा से लगी एक बगिया में कुछ लोगों द्वारा अपमिश्रित शराब बनाया जा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस बल द्वारा अवैध रुप से अपमिश्रित शराब बनाते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 01 अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जनपद हमीरपुर के रहने रावेन्द्र प्रताप सिंह जिसका पूरा व्यापार है जो हम लोगों को अवैध शराब बनाने की सारी सामग्री उपलब्ध कराता है और बिक्री भी करवाता है जिसमें वह और उसका लड़का अवध बिहारी मिलकर अपमिश्रित शराब बनाने व बिक्री का कार्य करते है। अभियुक्त के कब्जे से लगभग 3.5 लाख रुपये के अवैध अपमिश्रित शराब बनाने के भारी मात्रा में रेक्टिफाइड स्प्रिट, खाली प्लास्टिक के शीशी, भरे हुए क्वार्टर, ढक्कन, ड्रम आदि बरामद हुए है।

बरामदगी-

- 180 लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट
- 01 हजार खाली प्लास्टिक की शीशी
- 12 अदद् भरे हुए पौवे
- 80 अदद् शीशी के ढक्कन
- 02 अदद् प्लास्टिक ड्रम (200-200 ली0)

गिरफ्तार अभियुक्त-

- शिवलाल तिवारी पुत्र रामचन्द्र तिवारी निवासी गोखिया थाना अतर्रा जनपद बांदा

फरार/वांछित अभियुक्त-

1. रावेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी पढौरी थाना मौदहा जनपद हमीरपुर। (**मुख्य अभियुक्त**)
2. अवध बिहारी पुत्र शिवलाल तिवारी निवासी गोखिया थाना अतर्रा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 58/24 धारा 419/420/467/468/272 भा0द0वि0 व 60 आब0 अधि0 थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री पंकज कुमार सिंह
2. आब0नि0 श्री संदीप नाथ त्रिपाठी मय टीम
3. चौकी प्रभारी कस्बा अतर्रा श्री कृष्ण देव त्रिपाठी
4. रि0उ0नि0 श्री दीपक कुमार सैनी
5. रि0 उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार
6. म0रि0उ0नि0 रक्षा देवी
7. कां0 अनिल पाल
8. कां0 अरविन्द यादव

9. कां0 पंकज सिंह
10. कां0 अच्छे लाल
11. कां0 निरंजन राय
12. कां0 राजेश्वर
13. म0का0 बिन्दु पाल